

प्रेषक,
सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2012

विषय-मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत् रसोईयों को प्रत्येक माह की नियत तिथि पर मानदेय भुगतान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति/राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कम मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 10.01.2012 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में यह अपेक्षित है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत् रसोईयों को प्रत्येक माह की 10 तारीख को नियत मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।

उपरोक्त व्यवस्था हेतु यह भी आवश्यक होगा कि संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में कार्यरत् रसोईयों हेतु उपरोक्त नियत तिथि से पूर्व ही विद्यालय के मध्याह्न भोजन निधि खाते में मानदेय की धनराशि अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

अतः रसोईयों के मानदेय भुगतान हेतु उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
12.4.12
(सुनील कुमार)
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या: /79-6-2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०), उ०प्र०।
- 2- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार)
सचिव ।

प्रेषक,
सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2012

विषय-मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत् रसोईयों को प्रत्येक माह की नियत तिथि पर मानदेय भुगतान किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति/राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कम मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 10.01.2012 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में यह अपेक्षित है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत् रसोईयों को प्रत्येक माह की 10 तारीख को नियत मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय ।

उपरोक्त व्यवस्था हेतु यह भी आवश्यक होगा कि संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में कार्यरत् रसोईयों हेतु उपरोक्त नियत तिथि से पूर्व ही विद्यालय के मध्याह्न भोजन निधि खाते में मानदेय की धनराशि अवश्य उपलब्ध करा दी जाये ।

अतः रसोईयों के मानदेय भुगतान हेतु उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
सचिव ।

पृष्ठांक संख्या: / 79-6-2012 तददिनांक ।

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- ✓ 1- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०), उ०प्र० ।
 - 2- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० ।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
सचिव ।